भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1902

मंगलवार, दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि और नियामक सुधार

1902 श्री बृज लाल:
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:
श्री शंभू शरण पटेल:
श्रीमती सीमा द्विवेदी:
श्री सुभाष बराला:
श्री घनश्याम तिवाड़ी:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार देश में कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता कितनी है तथा वर्ष 2025-26 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कितनी नई क्षमता जोड़ी गई है;

(ख) प्रारंभ किए गए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल का ब्यौरा क्या है तथा यह आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक है; और

(ग) वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस गति से क्षमता वृद्धि बनाए रखने हेतु मंत्रालय द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, देश में 283.46 गीगावाट गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है। वर्ष 2025-26 तथा 2024-25 के दौरान प्राप्त क्षमता वृद्धि का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2025-26	**वित्त वर्ष 2024-25**
55.29 GW	29.52 GW

(ख) मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की दिनांक 10.10.2025 की अधिसूचना संख्या 40/2025-56 के माध्यम से अनिवार्य किए गए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण आयात निगरानी प्रणाली (Renewable Energy Equipment Import Monitoring System-REEIMS) पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो दिनांक 01.11.2025 से प्रभावी है। REEIMS पोर्टल सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूलों तथा पवन चालित विद्युत जनरेटरों के विनिर्माण हेतु आयातित विशिष्ट वस्तुओं/कंपोनेंटों की निगरानी को संभव बनाना है। यह पोर्टल स्थानीय विनिर्माण तथा आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता से संबंधित नीतियों तैयार करने हेतु मंत्रालय को विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने में सहायक है।

(ग) सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्रोत्साहित एवं तीव्र गति से बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय एवं पहल की हैं, जिनका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

दिनांक 04.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1902 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और उसे तीव्र गति से बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

- ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत और प्रेषण योग्य (डिस्पैचेबल) नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

- 500 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (सीएफडी) के लिए पायलट योजना जारी की गई। सीएफडी तंत्र, एक विश्व स्तर पर सिद्ध ढांचा, पावर एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के लिए एक वैकल्पिक साधन (दीर्घकालिक बिजली खरीद करारों के अतिरिक्त) प्रदान करेगा।

- नवीकरणीय खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होता है, गैर-अनुपालन पर दंड आकर्षित करेगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।

- स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त् बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), के तहत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना, लघु जल विद्युत विकास योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

- बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की स्थापना के लिए आरई डेवलपर्स को भूमि और ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

- ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क पर कुछ समय सीमा और शर्तों के साथ छूट।

- नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा योजना के तहत नई पारेषण लाइनों के बिछाने और नए उप-स्टेशन क्षमता के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया गया है।

- सौर फोटोवोल्टेक उत्पादों (अर्थात, सौर पीवी मॉड्यूलों, सौर पीवी इनवर्टरों और स्टोरेज बैटरी) तथा सौर जल हीटिंग प्रणालियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए।

- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा जारी की गई।

- भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना ढांचे के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

- पांच सौ किलोवाट तक या विद्युत स्वीकृत भार तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।

- पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुन: शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023 जारी की गई है।

- अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे की मंजूरी को विनियमित करने के लिए विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

- 12 जून, 2025 को प्रोटोटाइप पवन टरबाइन मॉडलों की स्थापना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।

- पवन टर्बाइनों के मॉडलों और विनिर्माताओं की संशोधित सूची (आरएलएमएम) में विंड टर्बाइन मॉडल को शामिल/अद्यतन करने की प्रक्रिया 31 जुलाई, 2025 को जारी। इस संशोधन में आरएलएमएम का नाम बदलकर मॉडलों और निर्माताओं की स्वीकृत सूची [एएलएमएम (विंड)] कर दिया गया है और इसमें भारत के भीतर डेटा केंद्रों के अनिवार्य पुनर्वास (रिलोकेशन) और भारत के बाहर वास्तविक समय के डेटा हस्तांतरण पर रोक के साथ-साथ ब्लेड, टॉवर, जनरेटर, गियरबॉक्स और विशेष बेयरिंग (मुख्य, पिच और यॉ बेयरिंग) जैसे सूचीबद्ध कंपोनेंटों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है।

- एएलएमएम-विंड और एएलएमएम - विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स (एएलएमएम-डब्ल्यूटीसी) के लिए 29 अक्टूबर 2025 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), जिसमें आवेदन, सत्यापन, कारखाने के निरीक्षण, कंपोनेंट मूल्यांकन और मॉडल सूचीबद्ध करने के लिए एंड-टू-एंड प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।

- सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल और ग्रिड से जुड़े सोलर इन्वर्टरों के लिए मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

- तीव्र आरई ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2030 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।

- विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम) अधिसूचित किए गए हैं।

- विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022, दिनांक 06 जून 2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की ऐसे किसी भी उपभोक्ता को अनुमति है जो 100 किलोवाट या उससे अधिक की अनुबंध मांग के साथ एकल या कई एकल कनेक्शन के माध्यम से कुल मिलाकर सौ किलोवाट या उससे अधिक की मांग के साथ वितरण लाइसेंसधारी के एक ही बिजली प्रभाग में स्थित है।

- एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरूआत की गई है।

- सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) या अग्रिम भुगतान पर बिजली भेजी जाएगी।
